2024:CGHC:48509–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 234/2024

एस. आर. हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, द्वाराः अपने प्राधिकृत निदेशक संजय तिवारी, पिता स्व. सुधाकर तिवारी, आयु लगभग 45 वर्ष, एस.आर. हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, धमधा रोड, चिखली, तहसील एवं जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

–– अपीलार्थी/वादी

विरुद्ध

डॉ. शीतल यादव, पति डॉ. सुप्रतिम दास गुप्ता, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 43, टावर नंबर 2/बी, सूर्या अपार्टमेंट, जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

डॉ. शीतल यादव (एम.बी.बी.एस.,डी.ए.) एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में कार्यरत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हारी, बस्ती, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में पदस्थ। (विचारण न्यायालय के समक्ष वाद शीर्षक उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था)

––– उत्तरवादी/प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर निर्णय

न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा,

10.12.2024

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील दिनांक 09.09.2024 के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

3. वर्तमान अपील में दर्शाए गए प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने उत्तरवादी/प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद दायर किया था, जिसमें वाद का मूल्यांकन

1,000/– रुपये (एक हजार रुपये मात्र) किया गया था और 200/– रुपये (दो सौ रुपये मात्र) न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया था। वादी ने यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी/वादी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन विधिवत पंजीकृत है। प्रारंभ में वर्ष 2013 में, एस.आर. हॉस्पिटल के संचालन के लिए श्री संजय तिवारी और एक डॉ. शीतल यादव द्वारा साझेदारी फर्म का गठन किया गया था और बाद में, वे साझेदारी फर्म को कंपनी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमत हुए। किंतु कालांतर में, व्यक्तिगत कारणों से डॉ. शीतल यादव ने साझेदारी फर्म से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 09.08.2019 को श्री संजय तिवारी और डॉ. शीतल यादव के बीच उनके अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत क्षमता में एक इकरारनामा निष्पादित किया गया था। इसके बाद, पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि डॉ. शीतल यादव ने इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से वादी के अस्पताल के उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और चेक बुक सहित अस्पताल की कई वस्तुओं के साथ अस्पताल छोड़ दिया जबकि उक्त चिकित्सा उपकरण वादी/अपीलार्थी द्वारा संबंधित बैंक से ऋण लेकर खरीदे गए थे और वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थे। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरवादी/प्रतिवादी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एस.आर. हॉस्पिटल के बैंक ऋण व अन्य देनदारियों को चुकाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात, उसने वादी कंपनी के खाली चेक का दुरुपयोग किया, इस प्रकार, डॉ. शीतल यादव के इस कृत्य और कार्रवाई की सूचना श्री संजय तिवारी द्वारा संबंधित अधिकारियों (जैसे संबंधित बैंक और पुलिस थाना) को दी गई और प्रकरण को कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष भी रखा गया। चूंकि प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 09.08.2019 श्री संजय तिवारी द्वारा एस.आर. हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निष्पादित नहीं किया गया था, चुँकि उनके पास कंपनी के निदेशक मंडल से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कंपनी की ओर से कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, और इसलिए एस.आर. हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उस इकरारनामा से बाध्य नहीं है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निष्पादित किया गया था। उक्त पृष्ठभूमि में, कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से अपीलार्थी कंपनी के निदेशकों में से एक, श्री संजय तिवारी को प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 09.08.2019 के संबंध में घोषणा और व्यादेश हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया, जो वादी कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। कंपनी की ओर से व्यवहार न्यायालय में घोषणा और व्यादेश के लिए व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था और इसे चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय में अ/150/2021 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, दुर्ग द्वारा उत्तरवादी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए, जिसके अधीन वह उपस्थित हुई और विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत किया। इसके बाद उसने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया और व्यवहार वाद में आपत्ति जताते हुए अपना बचाव किया। वादी ने उक्त आवेदन पर जवाब दिया, जिसमें विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने दिनांक 11.05.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी की आपत्ति का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निराकरण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 के साथ–साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के आलोक में व्यवहार वाद पोषणीय है। यद्यपि, व्यवहार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादग्रस्त इकरारनामा के मूल्य को देखते हुए, व्यवहार वाद का मूल्यांकन 1,98,81,500/– रुपये किया जाना आवश्यक है। परिणामस्वरुप, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने दिनांक 11.05.2023 के आदेश द्वारा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II के आर्थिक क्षेत्राधिकार से बाहर होने के आधार पर व्यवहार वाद को वापस कर दिया। वादी कंपनी ने व्यवहार वाद का उचित मूल्यांकन 1,98,81,500/– रुपये किया और घोषणा एवं व्यादेश के लिए दिनांक 06.07.2023 को जिला न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया और विधि के अनुसार उस प्रयोजनार्थ निर्धारित न्यायालय शुल्क संलग्न किया। उक्त व्यवहार वाद को अ/1095/2023 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था।

4. विद्वान जिला न्यायाधीश ने दिनांक 24.07.2023 के आदेश द्वारा उपरोक्त वाद को उचित सुनवाई और न्याय–निर्णयन हेतु चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। दिनांक 26.09.2023 के आदेश के माध्यम से, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारित किया कि वादी द्वारा घोषणा हेतु 1,000/– रुपये और स्थायी व्यादेश हेतु 1,000/– रुपये का निर्धारित न्यायालय शुल्क चुकाया गया है, जबकि यह वाद 1,71,61,500/– रुपये के इकरारनामा को शून्य घोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी की ओर से अधिवक्ता से न्यायालय शुल्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई। वादी के तर्कों को सुनने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.09.2024 के आदेश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया और व्यवहार वाद को दो आधारों पर खारिज कर दिया: प्रथम, वादी द्वारा उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान न करना और द्वितीय, व्यवसायिक विवाद का निर्णय करना व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः, अपीलार्थी/वादी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे कि वह क्षेत्राधिकार के बिंदु पर अपना पक्ष रख सकें। आदेश–पत्रकों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल न्यायालय शुल्क के बिंदु पर तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और प्रकरण में व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई विषय शामिल नहीं था। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना लिया गया दूसरा आधार विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 के विधिक उपबंधों को समझने में असफल रहा है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रिया का पालन किए बिना वाद को खारिज कर दिया है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध, विधि के प्रतिकूल और प्रकरण के तथ्यों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवाचनों और चाहे गए अनुतोष की अनदेखी कर गंभीर त्रुटि की है।

6. यह सुस्थापित विधि है कि वादी/अपीलार्थी आर्थिक क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए अपने वाद का मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र है और जब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची के अनुसार निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, तो वह घोषणा की मांग कर सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य के विवेचन करने में असफल रहा कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अंतर्गत घोषणा हेतु वाद, न्यायालयों को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 के आलोक में वादी की स्थिति स्पष्ट करने की स्वीकृति देता है और यह पक्षकारों के मध्य भविष्य की मुकदमेबाजी को रोकने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय तथ्यों को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर देने में असफल रहा, जैसा कि पक्षकारों के मध्य कोई व्यवसायिक संव्यवहार नहीं था, इसलिए आक्षेपित आदेश खारिज किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा **श्रीमती नीलम डागला विरुद्ध सरवन गोंड व एक अन्य**, **प्रथम अपील क्रमांक 557/2018 में** दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश का संदर्भ लिया हैं।

7. हमने अपीलार्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. दिनांक 09.09.2024 के आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि वादी/अपीलार्थी ने उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया है और इकरारनामा व्यवसायिक संव्यवहार के अंतर्गत आता है, अतः यह वाद वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा विचारणीय है; इसी आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेश का प्रवर्तनीय भाग निम्नानुसार है:–

> .....वादी द्वारा यह बाद इकरारनामा दिनांक 09–08–2019 के अनुसार कुल रकम 1,98,81,500/– (अक्षरी एक करोड अनठ्धानवे लाख इक्यासी हजार पाँच सौ रूपये) के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क चस्पा नहीं किया गया है। जिसके संबंध मे वादी द्वारा तर्क किया गया है कि वाद सिर्फ घोषणा हेतु पेश किया गया है, कोई परिणामिक अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से किया गया है। तत्संबंध में न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 उपनियम (च) का अवलोकन किया गया, जिससे यह दर्शित है कि लेखाओं के वादों में वादपत्र या अपील के ज्ञापन के लिए ईप्सित अनुतोष के मूल्यांकन की रकम के अनुसार 40/– रूपये की न्यूनतम फीस सहित न्यायशुल्क चस्पा किया जाना चाहिए तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 की धारा 8 के अनुसार ऐसे लिखतों का मूल्यांकन उसके चाहे गए अनुतोष के रकम या बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना चाहिए तथा प्रार्थित रकम ही न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 08 के अनुसार वादी के वाद का मूल्यांकन राशि 1,98,81,500/– (अक्षरी एक करोड़ अनक्यानवे लाख इक्यासी हजार पाँच सौ रूपये) में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वादी कंपनी एक व्यवसायिक फर्म है तथा वादी कंपनी के डायरेक्टर संजय तिवारी एवं प्रतिवादी द्वारा एक पार्टनरशीप फर्म का निर्माण किया गया था एवं उक्त फर्म में डॉयरेक्टर के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत थे तथा उक्त इकाररनामा भी फर्म से संबंधित लेनदेन के संबंध में निष्पादित किया गया है जिससे

प्रथमदृष्ट्या पक्षकारों के मध्य उक्त विवाद व्यवसायिक विवाद होना दर्शित है, जिससे उक्त मामला प्रथमदृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं होने से वापस किया जाना उचित होगा ।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि वादी कंपनी के डायरेक्टर संजय तिवारी एवं प्रतिवादिनी डॉ. शीतल यादव के मध्य दिनांक 09.08.2019 को इकरारनामा निष्पादित किया गया है, जिसे शुन्य कराने की घोषणा बाबत यह वाद वादी संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त इकरारनामा निष्पादित किये जाते समय संजय तिवारी एवं डॉ. शीतल यादव दोनों डायरेक्टर के पद पर उक्त वादी संस्थान में कार्यरत थे, जो कि वादी संस्थान के सभी कार्यों के लिए अधिकृत रहे हैं। इसलिए दिनांक 09.08.2019 को इकरारनामा निष्पादित किये जाते समय यह माना जायेगा कि वादी संस्थान की ओर से ही डायरेक्टर संजय तिवारी के द्वारा उक्त इकरारनामा निष्पादित किया गया था। प्रथमदृष्टया यह दर्शित होता है कि यादी संस्थान की वांछा एवं हितबद्धता केवल मात्र न्यायशुल्क अदा करने से बचने के लिए सही जानकारी ना देकर बाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वर्तमान में भी संजय तिवारी वादी संस्थान का डायरेक्टर है जिसकी ओर से यह वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वादी संस्थान की ओर से प्रस्तुत वाद में वाद का मूल्यांकन 1,98,81,500/– रूपये करते हुए उचित न्यायशुल्क अदा किया जाना आवश्यक है, किन्तु वादी संस्थान की ओर से उचित न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है तथा वादी का यह मामला व्यावसायिक विवाद का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए वादी संस्थान की ओर से प्रस्तुत वाद उचित न्यायशुल्क एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण व्यवस्थित कर अभिलेखागार जमा किया जावे ।"

9. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11 (ख) के प्रावधान, सुलभ संदर्भ हेतु यहाँ प्रस्तुत हैं:–

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना

वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) xxxxxx

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

10. वादी/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय की सभी आदेश–पत्रकों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है और विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.09.2023 के आदेश में निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"26.09.2023 वादी की ओर से श्री एन. रवि कुमार अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित।

प्रकरण, जांच प्रतिवेदन/तर्क हेतु नियत है।

अभिलेख से दर्शित है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत घोषणा के बाद में घोषणा हेतु 1000 रू. एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1000 रु. का न्याय शुल्क अदा किया गया है। जबकि यह वाद इकरारनामा में उल्लेखित 1,71,61,500 रुपये के इकरारनामा को शून्य घोषित किये जाने बाबत् प्रस्तुत है। अतः वादी अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि न्याय शुल्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें

प्रकरण जांच प्रतिवेदन / तर्क हेतु 27.10.2023"

11. तत्पश्चात प्रकरण पंजीयन हेतु तर्क के लिए नियत किया गया था। यह दिनांक 02.09.2024 को सुनवाई के लिए आया, जहाँ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तर्क सुने गए और प्रकरण दिनांक 04.09.2024 को आदेश हेतु नियत किया गया। दिनांक 04.09.2024 को प्रकरण को 09.09.2024 के लिए स्थगित कर दिया गया और उक्त तिथि पर विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया और वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह विवाद वाणिज्यिक न्यायालय न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अपीलार्थी/वादी द्वारा उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

12. सभी आदेश–पत्रकों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सुनवाई की पिछली तिथियों पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी को कभी भी न्यायालय शुल्क का भुगतान करने हेतु निर्देशित नहीं किया था और उक्त आदेश–पत्रकों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी/वादी को उचित न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था और अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलार्थी/वादी इसे जमा करने में असफल रहा। यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर अपीलार्थी/वादी के तर्कों को कभी नहीं सुना। अतः, यह आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 7, नियम 11 (ख) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11 (ख) के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरवादी को नोटिस जारी किए बिना, इस अपील को **स्वीकार** किया जाता है और दिनांक 09.09.2024 के आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। प्रकरण को इस निर्देश के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी/वादी को दोनों बिंदुओं प्रथम, न्यायालय शुल्क पर और द्वितीय, क्षेत्राधिकार पर उचित अवसर प्रदान करे। उक्त बिंदुओं पर अपीलार्थी/वादी को सुनने के पश्चात नया आदेश पारित करें। यदि न्यायालय यह पाता है कि निर्धारित न्यायालय शुल्क कम है, तो अपीलार्थी/वादी को उसे उचित रूप से जमा करने का अवसर दिया जाए। यदि अपीलार्थी/वादी विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11 के प्रावधान के अनुसार आदेश पारित करेगा।

14. अपीलार्थी/वादी दिनांक **20.01.2025** को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति की अनुमति से इस निर्णय की एक प्रति सभी जिला न्यायाधीशों को इस निर्देश के साथ अग्रेषित की जाए कि वे इसे सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य प्रसारित करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur